

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित )

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 58

नई दिल्ली,

13 अप्रैल, 2009

### शुद्धिपत्र

(मार्च 2009 के 27वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने महापत्तन न्यासों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसरण में विशाखापत्तन पत्तन में बहुउद्देशीय कार्गो प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क सीमाएं अनुमोदित करते हुए मामला सं. टीएएमपी/39/2008-वीपीटी में 12 फरवरी 2009 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश राजपत्र सं. 26 द्वारा 24 फरवरी 2009 को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग- III खंड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. यह देखा गया है कि उक्त आदेश के अनुच्छेद 12 में कुछ टाइपलेखन त्रुटि हुई है। उक्त अनुच्छेद में दर्शाए गए शब्दों "द्रव कार्गो टर्मिनल" को "बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनल" पढ़ा जाए।

(अरविन्द कुमार)  
सदस्य